(३) त्रावणकोर-कोचीन निर्वचन और सामान्य खण्ड (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या ८)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–४४७/५६]

(४) नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या ९)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–४४८/५६]

(५) त्रावणकोर-कोचीन काश्तकारों को प्रतिकर सुधार अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या १०)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–४४९/५६]

(६) त्रावणकोर-कोचीन चूने के डले (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या ११)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस– ४५०/५६]

जम्मू तथा काश्मीर के संविधान का प्रारूप

†**श्री दातार :** श्रीमान्, मैं जम्मू तथा काश्मीर के प्रारूप संविधान की एक प्रति, उस राज्य की संविधान सभा में पुरःस्थापित रूप में पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–४५१/५६]

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** लोक सभा के विगत सत्र के अन्तिम दिन, १३ सितम्बर, १९५६ को स्वेज नहर के मामले की गतिविधि के बारे में मैंने वक्तव्य दिया था। इसके पूर्व, आठ अगस्त को मैंने सभा के समक्ष मिस्री सरकार द्वारा स्वेज नहर समवाय के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत किया था।

लोक सभा में दिये गये मेरे वक्तव्य को दो महीने गुजर चुके हैं और उसके बाद अनेक घटनायें घट चुकी हैं। समाचारपत्रों में यह सब छप चुका है और माननीय सदस्य अवश्य ही इन सबसे परिचित होंगे। सुरक्षा परिषद् ने इस पर विचार किया था और स्वेज नहर के सम्बन्ध में किसी भी समझौते के लिये आवश्यक कतिपय मूलभूत सिद्धान्तों का मोटे रूप में अनुमोदन कर दिया था। इस आशय का प्रस्ताव रखा गया कि विवाद से सम्बद्ध मुख्य पक्ष—मिस्र, ब्रिटेन और फ्रांस, इन सिद्धान्तों के आधार पर इस विषय पर आगे चर्चा करने के लिये शीघ्र मिलें।

यह मीटिंग नहीं हुई। इसके बजाय, २९ अक्तूबर को इजरायल ने मिस्र पर सहसा और पूर्व-नियोजित आक्रमण कर दिया और भारी संख्या में इजरायली सेनायें मिस्री प्रदेश में दूर तक घुस गईं। दूसरे दिन ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने मिस्र और इजरायल को इस आशय का अल्टीमेटम दे दिया कि यदि उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया और अपनी सेनायें स्वेज़ नहर से दस मील की दूरी पर नहीं हटाई तो ब्रिटेन और फ्रांस की सेनायों को लड़ाई बंद करने के लिये हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अल्टीमेटम की अवधि ३१ अक्तूबर को प्रातःकाल समाप्त हो गई और उसके तुरन्त बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी फौजों ने काहिरा के हवाई अड्डे और सैनिक केन्द्रों तथा मिस्र में अन्यत्र बम डालना आरम्भ कर दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस घटना के कुछ दिन पश्चात् पोर्ट सईद के समीप छतरीधारी सैनिक उतारे गये और वहां भीषण युद्ध हुआ ।

जैसा सभा को विदित है कि स्वेज़ नहर समवाय के राष्ट्रीकरण के पश्चात् भारत को ब्रिटेन और फ्रांस की नीति के प्रति गम्भीर आशंका थी। विशेष रूप में, मिस्र में सैनिक कार्यवाही के लिये सेनाओं और विमानों का जमघट हमारी राय में पिछले औपनिवेशिक ढंग का आश्रय ले कर और सशस्त्र बल का दिखावा देकर मिश्र को उत्पीड़ित करने का प्रयत्न था। वस्तुतः ब्रिटेन और फ्रांस के उत्तरदायी राजनीतिज्ञों द्वारा इस प्रकार का मत प्रकट किया गया कि मिस्र में राज्य सत्ता पलट दी जाये और विशेष रूप से राज्य के प्रधान एवं वहां की सरकार को हटा दिया जाय तथापि हमारी आशा थी कि सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव के पश्चात् इस विवाद को हल करने के लिये अधिक शान्तिप्रिय तरीके अपनाये जायेंगे। ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा मिस्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाहियां और काहिरा नगर एवं मिस्र के अनेक भागों में बम गिराने की घटनाओं से भारत की जनता को ही नहीं प्रत्युत ब्रिटेन समेत अन्य देशों की जनता को भी गहरा आघात लगा। यह एक ऐसी घटना प्रतीत हुई जिसमें दो सशक्त देशों द्वारा अपनी इच्छा किसी देश पर थोपने और यहां तक कि उस देश की सरकार में परिवर्तन करने के उद्देश्य से एक निर्बल राष्ट्र पर निर्लज्जता पूर्ण आक्रमण किया गया है। आंग्ल-फ्रांसीसी कार्यवाही के विरुद्ध सारे विश्व में व्यापक प्रतिक्रिया हुई और चूंकि ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा निशेधाधिकार (वीटो) का प्रयोग करने से सुरक्षा परिषद् कुछ कार्यवाही करने में नाकाम रही, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने आपात्कालीन सत्र में इस कार्य का विरोध किया और इसने मिस्र में सैनिक कार्यवाही समाप्त करने और मिस्र की सीमा से इज़रायल, फ्रांस और ब्रिटेन की सशस्त्र सेनायें वापस बुलाने की मांग की। अस्थिर युद्धविराम हुआ और ब्रिटेन, फ्रांस तथा इज़रायल की ओर से घोषणा की गई कि वे अपनी सशस्त्र सेनायें वापस बुला लेंगे यद्यपि यह घोषणा कुछ शर्तों पर निर्भर थी ।

घटनाओं के इस हेरफेर से आशा हुई कि अब शान्तिपूर्ण तरीके अपनाये जायेंगे और कुछ दिनों पूर्व मैंने यह व्यक्त किया था कि परिस्थिति में कुछ सुधार हो गया है। आज ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर मैं यह कह दूं कि स्थिति सुधरी है। अनेक ऐसी प्रवृत्तियां है कि यदि उन्हें नहीं रोका गया तो परिस्थितियां जल्दी बिगड़ कर युद्ध का रूप धारण कर सकती हैं। यदि दुर्भाग्य से सैनिक कार्यवाही पुनः आरम्भ हो गई तो सम्भव है कि उसका क्षेत्र अधिक व्यापक हो और बड़े युद्ध में बदल जाये ।

दो दिन पूर्व इण्डोनेशिया, बर्मा, श्रीलंका, और भारत के प्रधान मंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। इस वक्तव्य में मिस्र और हंगरी की हाल की घटनाओं पर उक्त प्रधान मंत्रियों के विचार अभिव्यक्त किये गये हैं तथा वर्तमान गंभीर अंन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में अन्तर्भूत युद्ध के खतरे की ओर भी उसमें संकेत किया गया है ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के बावजूद भी यत्रतत्र युद्ध जारी रहा और मिस्री भूप्रदेश से सेनायें हटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। वस्तुतः इससे यह प्रतीत होता है कि इन शक्तियों ने मिस्री भूप्रदेश पर स्वयं को दृढ़रूप में स्थापित कर लिया है और उसे छोड़ने का उनका इरादा नहीं है। यदि यह विदेशी सेनायें मिस्र की सीमा में बनी रहेंगी तो स्थिति के शीघ्र ही बिगड़ने की संभावना है तथा वह नये सिरे से सैनिक कार्यवाहियों के खतरे को और भी निकट लायेगी ।

यद्यपि ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने प्रकट रूप में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है फिर भी उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें लागू की हैं जो संकल्प के अनुकूल नहीं हैं। इज़रायेल के प्रधान मंत्री अपने इस निश्चय पर दृढ़ हैं कि वह गाजा क्षेत्र को खाली नहीं करेंगे। यदि विदेशी सेनाओं ने मिस्र के इलाके को पूरी तरह खाली नहीं किया तो ऐसी अवस्था में यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लंघन है ।

इसी बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सेना के लिये एक सशस्त्र सैन्य-टुकड़ी भेजने की स्वीकृति दे दी है और ये सैनिक आज विमान द्वारा भारत से रवाना हो जायेंगे। इस संयुक्त राष्ट्र सेना का स्वेज नहर के वर्तमान विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि पूर्ण शान्ति स्थापित होने और सम्पूर्ण विदेशी सेनाओं के हटने के पश्चात् ही इस पर विचार किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय सेना का मुख्य कार्य यह देखना है कि इज़रायल पुराने युद्धविराम समझौते द्वारा निर्धारित सीमा में रहे।

समाचारपत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उनमें यह नहीं बताया गया है कि पोर्ट सईद में और उसके आसपास जो लड़ाई हुई वह उग्र थी। इस लड़ाई का कुछ ब्योरा हमें मिला है तथा उनके अनुसार हताहतों की संख्या और मुख्य रूप में मिस्री नागरिकों की संख्या बहुत अधिक है। वह सहस्त्रों तक पहुंच गई है। पोर्ट सईद की अत्यंत दारूण अवस्था है। सहायता हेतु विशेष विमान द्वारा दवाइयों का भारी स्टाक हम मिस्र भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं।

स्वेज़ नहर समवाय के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पिछले साढ़े तीन महीने की गाथा एक दुःखांत नाटक से परिपूर्ण है और मेरे विचार में आधुनिक युग में इस प्रकार की घटनायें सम्भवतः नहीं हो सकती थी। इस प्रकार के बर्बर आक्रमण और प्रवंचना की चर्चा करने में मुझे थोड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। इस सिलसिले में जो स्पष्टीकरण दिये गये हैं वह एक दूसरे के विरोधी हैं और एक ऐसा दृष्टिकोण व्यक्त करती हैं जो एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतन्त्रता और विश्वशान्ति के लिये खतरनाक है। इससे दुःख और कष्ट, घृणा और दुष्भावना की सृष्टि हुई है तथा कोई लाभ नहीं हुआ। और इन सबके अतिरिक्त हमारे सामने संभवतः विश्व युद्ध का खतरा है।

स्वेज नहर समवाय के राष्ट्रीयकरण के समय से जो भी विवाद हुये हैं उन सबके सामने मिस्र ने अधिकांशतः औचित्य एवं सहन शक्ति का परिचय दिया है। मिस्र पर इज़रायल ने ही नहीं प्रत्युत ब्रिटेन और फ्रांस ने भी आक्रमण कर दिया जबकि इसके लिये कोई औचित्य नहीं था। आक्रामक देशों ने आक्रमण से पहले आपस में कोई विचार-विमर्श किया था इसका मुझे ज्ञान नहीं है। परन्तु यह स्पष्ट है कि उनकी योजनायें ठीक बैठीं और आंग्ल-फ्रांसीसी हमले से इज़रायल हमले को सहायता मिली तथा इनके हमले को इज़रायल से सहायता मिली। इज़रायली हमले के एकदम बाद ब्रिटेन तथा फ्रांस की सेनाओं ने भी मिस्र पर हमला कर दिया। केवल एशिया और अफ्रीका की जनता के रोष के कारण ही नहीं अपितु योरोप और अमेरिका की जनता के रोष के कारण तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही के कारण इस आक्रमण को कुछ रोका जा सका। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध-विराम हो चुकने के बाद अब आत्मतुष्टि की भावना फैल रही है और समस्याओं को वैसे ही रहने दिया जा रहा है। यह सच है कि मिस्र पर इस आक्रमण और भयानक हमले का महत्व घटाने और इसे उचित बनाने के प्रयत्न किये गये हैं दुनिया का ध्यान हंगरी में हुई गम्भीर और शोचनीय घटनाओं की ओर भी गया है।

हमें मिस्र की घटनाओं से दुःख हुआ था और हमें हंगरी की घटनाओं से भी बड़ी चिन्ता और शोक हुआ। यह संभव है कि एक देश की घटनाओं की प्रतिक्रिया दूसरे देश में और दोनों से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और अधिक गम्भीर हो गई। परन्तु यह सदा याद रखना चाहिये कि यद्यपि दोनों की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना आवश्यक है फिर भी प्रत्येक एक दूसरे से भिन्न प्रकार की हैं। दोनों में से किसी को भी दूसरे से उचित बताने के लिये प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

विश्व में किसी की भी स्थान पर स्वतंत्रता पर आक्रमण हो, उससे हमारा सम्बन्ध है। शक्तिशाली राष्ट्र सेनाओं क प्रयोग द्वारा निर्बल देशों पर दबाव डालें, तो उससे भी हमारा सम्बन्ध है। हंगरी के बारे में यह है कि वहां की स्थिति कुछ दिनों तक अस्पष्ट रही है और धीरे-धीरे ही वहां की दुःखद घटनाओं की जानकारी सबको हुई है। प्रारंभ में ही, हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारी राय में हंगरी की जनता

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

को अपनी इच्छानुसार अपना भविष्य निश्चित करने देना चाहिये तथा वहां से विदेशी फौजों को हट जाना चाहिये । चारों प्रधान मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य में यह बात दोहराई गयी है ।

पाकिस्तान, क्यूबा, इटली, पेरू तथा आयरलैण्ड द्वारा हंगरी के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र महा-सभा में प्रस्तुत एक संकल्प के विरुद्ध हमने मत दिया था । इस संकल्प पर हमारे मतदान के सम्बन्ध में कुछ आलोचना की गई । इस सम्बन्ध में जो भी भ्रम उत्पन्न हुये हों मैं उन्हें दूर करना चाहता हूं । हमारी राय में, संकल्प उचित रूप में लिखा नहीं गया था । परन्तु इसमें सबसे आपत्तिजनक बात यह थी कि हंगरी में चुनाव संयुक्तराष्ट्र संघ के अधीक्षण में होने चाहिये । हमने इस पर बहुत आपत्ति की क्योंकि हमने यह महसूस किया कि यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र के विपरीत है और इससे हंगरी सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य नहीं रह जायेगा । इस प्रकार के हस्तक्षेप की तथा विदेशी अधीक्षण में चुनावों की स्वीकृति, हमें एक बुरी प्रथा लगी जो कि भविष्य में अन्य देशों में हस्तक्षेप के लिये भी प्रयोग में लाई जा सकती है । संकल्प की प्रत्येक कण्डिका पर मतदान लिया गया था । संकल्प के अन्य सभी अंशों पर मतदान में हमने भाग नहीं लिया । संयुक्तराष्ट्र संघ के अधक्षीण में, चुनाव सम्बन्धी कण्डिका के विरुद्ध हमने मतदान किया । जब इस कण्डिका समेत समस्त संकल्प, मतदान के लिये रखा गया तब भी हमने उसी आपत्तिजनक कण्डिका के कारण इसके विरुद्ध मतदान किया ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : आदेशानुसार ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य धैर्य रखें, उन्हें सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी ।

†**श्री कामत** : मैं बुरी से बुरी बात के लिये तैयार हूं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: इस विशेष संकल्प पर मतदान हमारी सामान्य नीति तथा अनुदेशों के पूर्णतः अनुसार हुआ । हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह संकल्प, इसके एक अंश पर मूलभूत आपत्तियों के अतिरिक्त, हंगरी के लिये लाभदायक सिद्ध नहीं होगा । हम हंगरी से रूसी फौजें हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं । संकल्प के कारण, इन फौजों के हट जाने में रुकावट होती तथा उसके पश्चात् फौजों के हस्तक्षेप से बड़ी लड़ाई छिड़ सकती थी । यह संभव था कि हंगरी युद्ध की अग्नि में भस्म हो जाता । हंगरी की जनता बड़ी भयानक कठिनाइयों से अभी गुज़री है तथा अन्य देशों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उनको और अधिक युद्ध तथा हानियों से बचायें और साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियां वहां लायें जिससे वे स्वतन्त्र रूप से पनप सकें और अपनी इच्छा की सरकार बना सकें । हम यथा शीघ्र हंगरी को सहायता भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

जो दुःखपूर्ण नाटक हमारे सामने हुआ, उससे यह प्रकट हो गया कि किसी समस्या को युद्ध द्वारा सुलझाने में भयानक ख़तरा है । मिस्र पर इज़राइली तथा आंग्ल फ्रांसीसी हमले से, मिस्र की जनता पर अधिक दुःख ही नहीं आये अपितु इससे उन बुरी भावनाओं को प्रोत्साहन मिला जो विश्व को विनाश की ओर ले जा रही हैं । शक्ति के प्रयोग और हंगरी में सेना द्वारा हस्तक्षेप से केवल वीर स्त्री पुरुषों की जानें ही नहीं गयीं अपितु इससे उस स्वतंत्रता की प्रगति में बाधा पड़ी जिसका हमने स्वागत किया था । ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया युद्ध की भावना में बह रही है और मुझे गत-महायुद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व के कुछ मास याद आ रहे हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि युद्ध तथा हिंसा से ये समास्यायें हल नहीं होंगी और न स्वतंत्रता आयगी । मुझे विश्वास है कि चाहे किसी भी रूप में हो, उपनिवेशवाद से पुरानी क्रूरता पुनः आ जायेगी तथा इसका हल केवल यही है कि इसके स्थान पर स्वतंत्रता स्थापित की जाये ।

इस समय विश्व में बड़ा खतरा है तथा यह संभव है कि जो थोड़ी सी लड़ाई हो रही है यह आगे आने वाली बड़ी लड़ाई की अग्रदूत हो । मुख्यतः शक्तिशाली राष्ट्रों की आंकाक्षाओं से निर्बल देश आपत्ति

---

†मूल अंग्रेजी में ।

में पड़ जायेंगे। आशा केवल इस बात में है कि राष्ट्रसंघ जो विश्व का प्रतिनिधि है शक्ति के स्थान पर समस्याओं को सुलझाने का सभ्य उपाय प्रस्तुत करने में सफल हो। आज उद्जन बम तथा पंचशील में से किसी एक को चुनना है।

जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के प्रारूप के बारे में प्रश्न

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं आपसे इस बात की ओर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा कि समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुये हैं कि जम्मू तथा काश्मीर का प्रारूप संविधान भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रारूप संविधान पर चर्चा का शीघ्र अवसर दिया जाये।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह मद संख्या ६, जम्मू तथा काश्मीर के प्रारूप संविधान की चर्चा कर रहे हैं।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : हमारे संविधान के अधीन जम्मू तथा काश्मीर संविधान सभा को पर्याप्त सीमा तक स्वायत्तशासन की शक्तियां प्राप्त हैं। जो उसके अधिकार के मामले हैं वह उनके बारे में कार्य कर सकती है। मैं नहीं जानता कि हम उस मामले को यहां किस प्रकार उठा सकते हैं तथा उसके उपबन्धों पर कैसे चर्चा कर सकते हैं। यह एक प्रकार से जम्मू तथा काश्मीर की संविधान• सभा की शक्तियों पर अतिक्रमण होगा। हमारे संविधान के आधीन उनको यह शक्ति है। हम अपने राज्यों के मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। काश्मीर को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं तथा उसके संविधान पर यहां चर्चा करना अनुचित होगा। हम यहां उनके किसी कार्य पर अपना निर्णय नहीं दे सकते। इसलिये मैं नहीं जानता कि हमें इस पर यहां क्यों चर्चा करनी चाहिये।

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री को मेरा सुझाव है कि जम्मू तथा काश्मीर और भारत के सम्पर्कों का विनियमन अनुच्छेद ३७० और १९५४ के राष्ट्रपति के आदेश से होता है। इसलिये यह सभा, उस सीमा तक, जम्मू तथा काश्मीर संविधान सभा से, इसका संशोधन करा सकती है।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : अनुच्छेद १ जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू होता है, इसलिये सभा का कर्तव्य है कि वह इस विषय पर विचार करे।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : करोड़ों भारतीयों को जो अधिकार हैं, उनसे काश्मीर की जनता वंचित रखी जा रही है। यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रारूप संविधान की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। एक सुझाव दिया गया जिसका उत्तर माननीय गृह-मंत्री ने दे दिया। परन्तु यदि माननीय सदस्यों का विचार मंत्री महोदय के विचार से विपरीत है तो वे एक औपचारिक प्रस्ताव रख सकते हैं जिस पर मैं विचार करके निर्णय दे सकूंगा कि इस पर चर्चा करने के लिये यह सभा सक्षम है अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।